Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana
No. 34-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 25, 2020 (BHADRA 3, 1942 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

आदेश

दिनांक 30 जुलाई, 2020

क्रमांक 26/4/1999–2 विद्युत.– भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार अधिसूचित करते हैं कि अंतराल की आवधिकता तथा प्रदायक की प्रदाय प्रणाली से पहले से जुड़ी सभी संस्थापनाए के निरीक्षण के लिए फीस अदा की जाएगीः–

1. अंतराल की आवधिकता

(1)	विद्युत निरीक्षक द्वारा अतिरिक्त उच्च तथा उच्च वोल्टेज संस्थाना	वर्ष में एक बार
(2)	कृषि उपभोगता जिन का निरीक्षण प्रदायक द्वारा किया जाएगा के सिवाए विद्युत निरीक्षण द्वारा मध्यम वोल्टेज संस्थापनाएं	तीन वर्ष में एक बार
(3)	प्रदायक द्वारा निम्न वोल्टेज संस्थापनाएं	पाँच वर्ष में एक बार

2. आवधिक निरीक्षण के लिए फीस

ट्रांसफार्मर, जनरेटिंग सैट तथा मोटरों, अलग से प्रत्येक श्रेणी के संस्थापना के लिए निचे दिये गये से सम्बन्धित अतिरिक्त उच्च, उच्च तथा मध्यम वोल्टेज संस्थापनाओं के उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण संस्थापनाओं के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए फीस।

(i)	25 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक सम्बद्ध भार	शून्य
(ii)	25 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार किन्तु 100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	400/–रूपये
(iii)	100 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार किन्तु 500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	1050/–रूपये
(iv)	500 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार किन्तु 1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अनधिक	2100/–रूपये
(v)	1000 किलोवोल्ट एम्पेयर से अधिक सम्बद्ध भार	प्रति 100 किलोवाल्ट एम्पेयर या उसका भाग 2100/– + 50/–रूपये

(ख)	निम्न वोल्टेज संस्थापनाओं के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए	50/–रूपये
(ग)	ऊँचाई में स्थित लाइनों के निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए	200/–रूपये

3 यदि प्रारम्भिक निरीक्षण के परिणाम के अनुसार द्वितीय या पश्चातवर्ती निरीक्षण आवश्यक है, तो पुनः निरीक्षण फीस प्रारम्भिक निरीक्षण के लिए प्रभारित फीस की राशि के दुगनी तक होगी।

4 संस्थापनाओं के सम्बन्ध में समायिक निरीक्षण फीस, निरीक्षण जो देय हो गया था तथा जिसे इस अधिसूचना से पूर्व नोटिस पहले ही जारी किए गए हैं, पुरानी दरों पर प्रभारित की जाएगी।

5 किलोवोल्ट से किलोवोल्ट एम्पेयर से सम्बद्ध भार प्रवर्तित करने के लिए, उस समय विद्युत उपयोगिता में चालू विद्युत गुणक को निरीक्षक फीस की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

6 पुनरीक्षित दरें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

7 ये पुनरीक्षित दरें इन दरों के लागू होने की तिथि से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद 20 प्रतिशत तक आगे बढ़ाई जाएंगी।

टी० सी० गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Order

The 30th July, 2020

No. 26/4/1999-2 Power.— In exercise of the powers conferred under the Electricity Act, 2003, Haryana Government hereby notifies the periodicity of intervals and fees payable for inspections of electrical installation already connected to the supply system of the supplier as below:-

1. **Periodicity of Intervals**

(1)	Extra High and High Voltage Installations by the Electrical Inspector	Once in a year
(2)	Medium voltage installations by the Electrical Inspector except Agricultural consumers which will be inspected by the supplier	Once in three years
(3)	Low voltage installations by the supplier	Once in five years

2. **Fees for periodical inspection**

The Fees for periodical inspection and testing for each class of consumers of Extra-High, High and Medium Voltage Installations pertaining to the transformers, Generating sets and motors, separately for each category of installations shall be as below:

(i)	Connected load not exceeding 25 Kilo Volt Ampere	NIl
(ii)	Connected load exceeding 25 Kilo Volt Ampere but not exceeding 100 Kilo Volt Ampere.	₹ 400/-
(iii)	Connected load exceeding 100 Kilo Volt Ampere but not exceeding 500 Kilo Volt Ampere.	₹ 1050/-
(iv)	Connected load exceeding 500 Kilo Volt Ampere but not exceeding 1000 Kilo Volt Ampere	₹ 2100/-
(v)	Connected load exceeding 1000 Kilo Volt Ampere	₹ 2100/- + ₹ 50/- per 100 Kilo Volt Ampere or part there of

(b)	For inspection and testing of low voltage installations.	₹ 50/-
(c)	For inspection and testing of Over-head lines.	₹ 200/-

3. In case a second or subsequent inspection is necessitated as a result of the initial inspection, the re-inspection fee shall be double of the amount, charged for initial inspection.
4. The periodical inspection fee in respect of the installations, inspection for which had fallen due and to whom notices have already been issued prior to this notification, shall be charged at old rates.
5. For converting the connected load in Kilo Watt to Kilo Volt Ampere, the power factor prevailing in the power utility at that time, shall be taken into account for the purpose of calculation of inspection fee.
6. The revised rates shall be applicable with effect from the date of publication of the notification.
7. These revised rates would further be increased by 20% after every three years from the date of applicability of these rates.

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Power Department.

8857—C.S.—H.G.P., Pkl.